न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या .22/2024 उनवान प्रधान बनाम सरकार**

1. प्रधान पुत्र कालू, आयु 37 वर्ष, जाति– बैरवा
2. भागचन्द पुत्र रामचन्द्र, आयु 45 वर्ष, जाति– बैरवा
3. श्रवण पुत्र कालू, आयु 34 वर्ष, जाति– बैरवा
4. संतरा देवी पत्नि धुकल, आयु 32 वर्ष, जाति– बैरवा

निवासीगण – ग्राम सरवर, तहसील अंराई, जिला– अजमेर (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, अंराई
2. नाबालिग अर्पिता चौधरी पुत्री मंगलाराम संरक्षक घमला देवी, जाति जाट
3. कानाराम पुत्र मल्ला, जाति जाट
4. कानीदेवी पत्नि श्योराज, जाति जाट
5. गोपाललाल पुत्र मल्ला, जाति जाट
6. गोरधन पुत्र भंवरलाल, जाति जाट
7. घमला देवी पत्नि मंगलाराम, जाति जाट
8. नाबालिग नरेन्द्र चौधरी पुत्री मंगलाराम संरक्षक घमला देवी, जाति जाट
9. बसराम पुत्र भंवरलाल, जाति जाट
10. भागचंद पुत्र हंसराज, जाति जाट
11. मनभर पत्नि भंवरलाल, जाति जाट
12. रुपचन्द पुत्र हंसराज, जाति जाट
13. लक्ष्मण पुत्र मल्ला, जाति जाट
14. शंकर पुत्र भंवरलाल, जाति जाट
15. सत्यनारायण पुत्र श्योराज, जाति जाट
16. सांवरलाल पुत्र श्योराज, जाति जाट
17. चन्ता पुत्री मांगू, जाति जाट
18. छोटू पुत्र मांगू, जाति जाट
19. तीजा पत्नि जीवण, जाति जाट
20. रतन पुत्र मांगू, जाति जाट
21. रोडू पुत्र भैरु, जाति जाट
22. सजनी पत्नि भैरु, जाति जाट
23. [illegible]मीलाल पुत्र मांगू, जाति जाट

उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

24. काना पुत्र सुवा, जाति बैरवा
25. सीता देवी पत्नि कालू, जाति बैरवा
26. कमल पुत्र कालू, जाति बैरवा
27. अशोक पुत्र कालू, जाति बैरवा
28. कालू पुत्र नारायण, जाति बैरवा
29. गोपाल पुत्र पांचू, जाति बैरवा
30. जितेन्द्र पुत्र भैरु, जाति बैरवा
31. सोहन पुत्र नन्दा, जाति बैरवा
32. टीकम पुत्र नन्दा, जाति बैरवा
33. पूजा पुत्री नन्दा, जाति बैरवा
34. लछमा पुत्री नन्दा, जाति बैरवा
35. दीपू पुत्री नन्दा, जाति बैरवा
36. नाथू पुत्र भैरु, जाति बैरवा
37. नौरत पुत्र नारायण, जाति बैरवा
38. प्रधान पुत्र पोलू, जाति बैरवा
39. बदाम पत्नि सुवा, जाति बैरवा
40. बैनाथ पुत्र रायचन्द, जाति बैरवा
41. मंगला पुत्र पोलू, जाति बैरवा
42. मांगी पत्नि भूरा, जाति बैरवा
43. मांगी पत्नि रायचन्द, जाति बैरवा
44. राजेन्द्र पुत्र भैरु, जाति बैरवा
45. रामकन्या पत्नि गोपी, जाति बैरवा
46. लाडा पुत्री नारायण, जाति बैरवा
47. लाला पुत्र नारायण, जाति बैरवा
48. लाली पुत्री पांचू, जाति बैरवा
49. सुखलाल पुत्र रायचन्द, जाति बैरवा
50. सणगारी पत्नि पोलू, जाति बैरवा
51. सांवरा पुत्र रायचन्द, जाति बैरवा
52. हगामी पत्नि भैरु, जाति बैरवा
53. हरजू पत्नि नारायण, जाति बैरवा
54. हरजी पुत्र रायचन्द, जाति बैरवा
55. हंसराज पुत्र पांचू, जाति बैरवा
56. अमरी पत्नि छगना, जाति ढोली

सर्वनिवासीगण – ग्राम सरवर, तहसील अंराई, जिला– अजमेर (राज०)

57. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबंधक केकडी

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

58. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक ढसूक

59. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंधक बोराडा

60. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबंधक केकडी

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक ....

1. प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता कुश कुमार राठोड ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 01.05.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 22/2024 पर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके ग्राम सरवर पटवार हल्का गुजरवाडा तहसील अराई में खसरा नं0 238 रकबा 1.6180 हैक्टेयर का सहखातेदार काबिज काश्तकार है ।

2. यह कि प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर सहखातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है, तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है प्रार्थी की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम सरवर पटवार हल्का गुजरवाडा तहसील अराई में खसरा नं0 238 रकबा 1.6180 हैक्टेयर का सहखातेदार काबिज काश्तकार है । वर्तमान में प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की सह खातेदारी के उपरोक्त वर्णित खसरा नं0 238 से लगती हुई सीमाओं के खेत के खसरा नम्बर 233,234,426/238,429/238,430/238 है ।

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 56 के मध्य सीमा विवाद होने के कारण आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भमि पर विवाद उत्पन्न करते है । जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की वाके ग्राम सरवर पटवार हल्का गुजरवाडा तहसील अराई में खसरा नं0 238 रकबा 1.6180 हैक्टेयर की सीमाओं का भोतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

3. दिनाकं 13.6.2025 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01लगायत 56 में से कोई उपस्थित नही हुये। दिनांक 8.8.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

4. दिनांक 08.08.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम सरवर पटवार हल्का गुजरवाडा तहसील अराई में खसरा नं0 238 रकबा 1.6180 हैक्टेयर का सहखातेदार काबिज काश्तकार । उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 56 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीकी श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम सरवर पटवार हल्का गुजरवाडा तहसील अराई में खसरा नं0 238 रकबा 1.6180 हैक्टेयर जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

5. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सरवर पटवार हल्का गुजरवाडा तहसील अराई में खसरा नं0 238 रकबा 1.6180 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8/8/25.........को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)